

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (L-4167) अलेसे- I/492

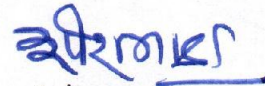
दिनांक:- 14.07.2021

कार्यालय आदेश

श्रीमती द्रोपदी बच्चानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (लिंक नम्बर 4167) को कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक 3759-63 दिनांक 03.12.2020 द्वारा दिनांक 01.01.2021 से 26.02.2021 तक अर्द्धवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया गया, परन्तु श्रीमती बच्चानी को कार्यालय उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर में अधिशेष होने के कारण दिनांक 08.02.2021 को उक्त कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त किया गया। तत्पश्चात् श्री बच्चानी द्वारा निदेशालय के आदेश क्रमांक 143 दिनांक 01.03.2021 के अनुसरण में कार्यालय निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर में कार्यग्रहण किया गया। इस प्रकार श्री बच्चानी को दिनांक 09.02.2021 से 26.02.2021 तक की अवकाश अवधि का वेतन भुगतान नहीं हो सका।

अतः श्रीमती बच्चानी को कॉलम संख्या 04 में अंकित कार्यालय/विभाग से कॉलम संख्या 05 में अंकित अवधि के वेतन आहरण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम/पदनाम	विभाग/कार्यालय जहां से वेतन भुगतान किया जाना है	अवधि/माह जिसका वेतन भुगतान किया जाना है
1	2	3	4	5
1.	4167	श्रीमती द्रोपदी बच्चानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।	उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	दिनांक 09.02.2021 से 26.02.2021 तक (दिनांक 27.02.2021 व 28.02.2021 राजपत्रित अवकाश को सम्मिलित करते हुए)



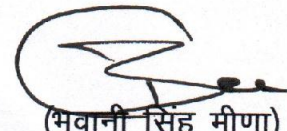
(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (L-4167) अलेसे- I/492

दिनांक:- 14.07.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि संबंधित लेखाकर्म का गत भुगतान प्रमाण पत्र के अनुसार अवकाश अवधि के वेतन का भुगतान करावे।
- 2 उपनिदेशक(एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 3 श्रीमती द्रोपदी बच्चानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय-निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 5 निजी पत्रावली।



(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)